महत्वपूर्ण एवं खास

राज्यपाल ने विजयादशमी के अवसर पर किया शस्त्र पूजन

रायपुर (आरएनएस)। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन आज विजयादशमी के अवसर पर राजभवन में आयोजित शस्त्र पूजन और हवन में शामिल हुए और देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। उन्होंने राजभवन परिसर में विधिवत् शस्त्र पूजा की। उन्होंने राजभवन सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों को विजयादशमी और दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। इस दौरान विशेष रूप से गायत्री परिवार को आमंत्रित किया गया। राज्यपाल हरिचंदन ने इस अवसर पर कहा कि असत्य पर सत्य की जीत का यह त्योहार हमें अहंकार और अधर्म का नाश करने की सीख देता है। हमें दशहरे के इस पावन पर्व पर सत्य की राह में चलने का संकल्प लेना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में गुलाबी ठंड ने दी दस्तक

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में अचानक मौसम के मिजाज में बदलाव आ गया है। सप्ताह भर पूर्व तक चिपचिपी गर्मी से बेहाल लोगों को अब गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। सुबह और शाम ढलने के बाद ठंड का असर आसानी से महसूस हो रहा है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान का ग्राफ अब गिर गया है। बात उत्तरी छत्तीसढ़ की करें तो यहां के कोरिया में न्यूनतम तापमान का आंकड़ा 14.9 डिग्री रिकार्ड किया गया है। इसी तरह बलरामपुर में 17.4, सरगुजा में 16.8, जशपुर में 17.8, रायगढ़ में 20.5, कोरबा में 17.8 डिग्री रिकार्ड किया गया है। इसी तरह बिलासपुर में 18.4, मुंगेली 17.3, जांजगीर-चांपा में 19.1, रायपुर 19.3, महासमुंद 17.5, दुर्ग 16.2, राजनांदगांव 17.2, धमतरी 15.7, कांकेर 15.2, नारायणपुर 14.2, बस्तर 18.4, दंतेवाड़ा 17.0 तथा बीजापुर में 17.5 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकार्ड किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में की दिशा में बदलाव होते ही तापमान में और ज्यादा गिरावट आने की पूरी संभावना बनी हुई है।

आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने वाला शिक्षक निलंबित

कांकेर (आरएनएस)। विधानसभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन करने पर जिले के कोयलीबेड़ा विकासखण्ड की शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला माड़पखांजूर में पदस्थ शिक्षक गोविंद राम नरवस को निलंबित किया गया है। इस संबंध में संयुक्त संचालक शिक्षा, बस्तर संभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है। शिक्षक नरवस द्वारा आचार संहिता प्रभावी रहने की अवधि में एक राजनैतिक दल का अधिकृत झंडा अपने दोपहिया वाहन में लगाकर चुनाव का प्रचार-प्रसार करते हुए पदीय दायित्वों के विपरित कार्य किया। इसे गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन करने पर यह कार्यवाही की गई है।

पुलिस की सक्रियता से एटीएम में चोरी की घटना नाकाम

दुर्ग (आरएनएस)। दीपक नगर क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग टीम की सजगता से एसबीआई एटीएम में चोरी की घटना नाकाम रही। एटीएम में लाखों रुपए नगदी रकम रखे हुए थे। घटना को अंजाम देने आरोपी द्वारा सब्बल, गैती व रॉड की मदद से एटीएम को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर डाला गया था, लेकिन वह अपने ईरादे में कामयाब नहीं हो पाया। मामले में पुलिस द्वारा आरोपी मनीष यादव ऊर्फ सागर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एटीएम को क्षतिग्रस्त करने में उपयोग में लाए गए समान भी जब्त कर लिए गए है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मोहन नगर पुलिस थाना प्रभारी विजय कुमार मंगलवार की रात अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के साथ पेट्रोलिंग में थे। इस दौरान उन्हें दीपक नगर स्थित एसबीआई के एटीएम में तोडफ़ोड़ होने की आवाज सुनाई दी। जिससे एटीएम की जांच की गई, तो आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

विधानसभा आम निर्वाचन-2023 : माइक्रो ऑब्जर्वर को दिया गया प्रशिक्षण

❐ मतदान केन्द्रों में आपकी भूमिका होगी महत्वपूर्ण, ध्यान से करेंगे कार्य-कलेक्टर गोयल

❐ आपातकालीन चिकित्सा संबंधी कार्यशाला का हुआ आयोजन

रायगढ़। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में माइक्रो ऑब्जर्वर के लिए आज नगर निगम ऑडिटोरियम पंजरी प्लांट में प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में माइक्रो ऑब्जर्वर को मतदान प्रक्रिया एवं मतदान केन्द्रों में उनकी भूमिका से अवगत कराया गया।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि विधानसभा आम निर्वाचन में मतदान केंद्रों की सभी गतिविधियों को आब्जर्व करने में माइक्रो ऑब्जर्वर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जिसकी रिपोर्ट बनाकर ऑब्जर्वर को समय में भेजना सुनिश्चित करेंगे। मतदान दिवस में सभी समय पर पहुंच मॉक पोल, सीआरसी वास्तविक मतदान एवं ईवीएम सीलिंग जैसे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होगी, जिनको आब्जर्व करते हुए रिपोर्ट तैयार करना होगा। जिसके लिए प्रशिक्षण रखा गया हैं, ध्यान से प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने डाउट क्लियर करें। इसके साथ ही प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारियों को बारीकी से समझे।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर रमेश मोर एवं जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल ने आयोजित प्रशिक्षण में माइक्रो ऑब्जर्वर को क्रमश: मतदान केन्द्र में उनके कार्यों, बरती जाने वाली सावधानियों के साथ ही प्रशिक्षण में ईव्हीएम और वीवीपेट मशीन की बारीकियों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि लोकत्रंत में हर व्यक्ति का वोट महत्वपूर्ण होता हैं। जिसके तहत निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों को फार्म 12 एवं फॉर्म 12 (क) भरवाया गया। प्रशिक्षण में बैंक, जीवन बीमा, डाकघर, एनटीपीसी, एसईसीएल, केन्द्रीय विद्यालय जैसे विभिन्न केन्द्रीय विभागों के लगभग 450 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

इस अवसर पर आयुक्त नगर निगम सुनील कुमार चंद्रवंशी, उपायुक्त सुतीक्षण यादव, तहसीलदार नेहा उपाध्याय, अनिल गुप्ता, डॉ.नरेन्द्र पर्वत सहित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

आपातकालीन चिकित्सा संबंधी कार्यशाला का हुआ आयोजन

आयोजित प्रशिक्षण में निर्वाचन ड्यूटी पर नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी कार्यशाला भी रखी गई थी। आपातकालीन चिकित्सा स्टेट कार्डिनेटर पवन कुमार राठौर, सीएमएचओ डॉ.मधुलिका सिहं ठाकुर एवं डॉ.दीप्ति ने हार्ट अटैक, मिर्गी, स्ट्रोक, स्नेक बाइट के लक्षण एवं प्रबंधन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ सावधानियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान अपने स्तर पर सभी प्रकार की दवाइयां रखना सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को सीपीआर देने संबंधी जानकारी भी दी गई। उन्होंने बताया की निर्वाचन आयोग के निर्देशन में आपातकालीन चिकित्सा हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर के हॉस्पिटल का चयन किया गया हैं, जहां नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाएगा।

11 अभ्यर्थियों ने लिए आज नामांकन पत्र

चारों विधानसभा में किसी के द्वारा आज नामांकन जमा नहीं किया गया

रायगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 अंतर्गत आज 25 अक्टूबर को जिले की चार विधानसभाओं के लिए कुल 11 नाम निर्देशन पत्र लिए गए। इनमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-15 लैलूंगा से 3 अभ्यर्थियों श्रवण कुमार भगत (बहुजन मुक्ति पार्टी), सुरेन्द्र कुमार सिदार-(इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी) एवं महेन्द्र कुमार सिदार (निर्दलीय)ने नामांकन फार्म लिया। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-16 रायगढ़ से 6 अभ्यर्थियों मधुबाई (जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे), कांति साहू (आजाद जनता पार्टी), बृजमोहन अग्रवाल (आम आदमी पार्टी), राजीव रत्न गुप्ता (निर्दलीय), लल्लू सिंह (निर्दलीय) एवं अरुण अग्रवाल (आम आदमी पार्टी) ने नामांकन फार्म खरीदा। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-19 धरमजयगढ़ से 2 अभ्यर्थियों महेन्द्र कुमार सिदार (हमर राज पार्टी) एवं सत्यवती राठिया (बहुजन समाज पार्टी) ने नाम निर्देशन पत्र लिया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-18 खरसिया से आज किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र नहीं लिया गया। 25 अक्टूबर को रायगढ़ के चारों विधानसभा में किसी के द्वारा नामांकन जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार 21 अक्टूबर से अब तक कुल 35 नाम निर्देशन पत्र लिए गए हैं और 1 नामांकन जमा किया गया है।

मधुबनपारा में अवैध शराब विक्रय की सूचना पर शराब रेड में आरोपी से 40 लीटर महुआ शराब जब्त

❐ अवैध शराब के विरुद्ध कोतवाली पुलिस की कार्यवाही जारी

रायगढ़। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा सभी थाना, चौकी प्रभारियों को आचार संहिता का प्रभावी रूप से पालन कराने एवं शांति व्यवस्था को लेकर माइनर एक्ट- अवैध शराब, जुआ, सट्टा पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यवाही को लेकर दिए गए के दिशा निर्देशन पर कोतवाली पुलिस की अवैध शराब पर लगातार कार्यवाही जारी है। आज दिनांक 24/10/2023 के शाम थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा मधुबनपारा में रवि साहू नाम के व्यक्ति के घर अवैध शराब रखे होने की सूचना पर शराब रेड कार्यवाही किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि रवि साहू लुक छिपकर घर पर अवैध रूप से देशी व महुआ शराब की बिक्री करता है। पुलिस की रेड कार्यवाही में आरोपी के कब्जे से 4 प्लास्टिक जरकिन में भरा हुआ कुल 40 लीटर महुआ शराब और बिक्री रकम 150 रूपये बरामद हुआ है जिसकी विधिवत गवाहों के समक्ष जप्ती कर आरोपी को मय शराब थाने लाया गया। आरोपी रवि साहू पिता स्वर्गीय राम रतन साहू उम्र 40 वर्ष निवासी मधुबनपारा थाना कोतवाली रायगढ़ के विरुद्ध थाना कोतवाली में 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। शराब रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, प्रधान आरक्षक विक्रम चौरसिया, आरक्षक जगमोहन ओग्रे, उत्तम सारथी, मनोज पटनायक और भगवती प्रसाद रत्नाकर की अहम भूमिका रही है।

विद्युत करंट से मादा जंगली हाथी की हुई थी मृत्यु : 4 आरोपियों को 14 दिनों के लिए न्यायिक अभिरक्षा हेतु किया गया जिला जेल दाखिल

रायगढ़। धरमजयगढ़ क्षेत्र अंतर्गत बेहरामार के मरघटीपतरा जंगल में बीते दो दिन पूर्व वन्य प्राणी मादा हाथी मृत अवस्था में पड़ा मिला था। वन विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पशु चिकित्सा अधिकारी को जांच हेतु बुलवाया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी के दल द्वारा जांच उपरांत पाया गया कि हाथी की मृत्यु विद्युत करंट से हुई है। जिसके पश्चात वन विभाग ने कार्यवाही करते हुए 4 संदेही आरोपियों को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम की धारा के तहत माननीय न्यायालय धरमजयगढ़ के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा हेतु पेश किया गया एवं माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त आरोपियों को 14 दिनों का न्यायिक अभिरक्षा हेतु जिला जेल दाखिल किया गया है।

वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर को समय लगभग शाम 5 बजे परिसर बहेरामार में कक्ष क्रमांक 548 पीएफ स्थानीय नाम मरघटीपतरा जंगल में वन्य प्राणी मादा हाथी मृत अवस्था में पड़ा मिला। पशु चिकित्सा अधिकारी के दल द्वारा जांच उपरांत पाया गया कि हाथी की मृत्यु विद्युत करेंट से हुयी है। वन विभाग की टीम द्वारा संदेह के आधार पर तहसील छाल ग्राम-मुनुन्द के नंदकुमार राठिया, महादेव राठिया, जयसिंह एवं हृदय राम राठिया को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उनके द्वारा बताया गया कि से सारे तार खूंटा आदि निकालकर छिपा दिया था, जिसे वन अमलों के द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा छिपाये गये तार को बताया एवं जप्त कराया तथा वन अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है।

11000 बोल्ट से अवैध हुकिंग कर 810 मीटर तक बांस खूंटी के सहारे नंगा जीआई तार फैलाकर करंट लगाया गया था। जिसके संपर्क में आकर जंगली मादा हाथी की मृत्यु हुई है। घटना स्थल के आसपास में जंगली हाथियों का विचरण क्षेत्र है। आरोपियों द्वारा विद्युत तार फैलाकर करंट लगाने से एक वन्य प्राणी की हत्या कर दी। आरोपियों ने मौके पर से साक्ष्य नष्ट करने के उद्देश्य

तमनार पुलिस ने एम्बुलेंस वाहन में नशीले कैप्सूल छिपाकर ला रहे दो आरोपियों को किया गिरफ्तार : 629 नग नशीली कैप्सूल और एम्बुलेंस वाहन जब्त

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा के मार्गदर्शन पर नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में कल रात तमनार पुलिस ने सटीक सूचना तंत्र के जरिए एम्बुलेंस वाहन पर रायगढ़ से तमनार की ओर लायी ला रही नशीली दवा की खेप के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से बरामद हुई दो अलग-अलग कंपनियों के 629 नग टेबलेट (कैप्सूल) का बाजार मूल्य रु.5,259 है। जानकारी के मुताबिक जप्त दवाएं डॉक्टर पर्ची के बगैर बिक्री किया जाना प्रतिबंधित है और आरोपियों के पास से इन दवाओं की बड़ी खेप बरामद हुई है। तमनार पुलिस ने दोनों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

तमनार, घरघोड़ा, लैलूंगा क्षेत्र में ऐसी नशीली कैप्सूल की अवैध बिक्री पर पहले भी कार्रवाई की गई है। एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा द्वारा प्रतिबंधित नशीली दवाओं की खरीदी-बिक्री पर निगाह रखने एवं अवैध रूप से बेचे जाने पर मुखबीर लगाकर रखा गया है। गत दिनों उनके सक्रिय मुखबिर ने तमनार क्षेत्र एवं आसपास क्षेत्र में दो युवकों द्वारा नशीली टेबलेट(कैप्सूल) विक्रय किए जाने की सूचना दिया गया। सूचना पर एसडीओपी धरमजयगढ़ द्वारा टीआई तमनार को निर्देशित करने पर थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर द्वारा क्षेत्र में अपने मुखबिर एवं स्टाफ को तस्करों पर निगाह रखने नियुक्त किये थे कि कल दिनांक 23/10/2023 कि रात्रि टीआई तमनार को मुखबीर सूचना मिला की दो व्यक्ति एम्बुलेंस वाहन क्रमांक MH 49 C 0032 में प्रतिबंधित नशीली टेबलेट को छिपा कर रायगढ की ओर से हमीरपुर, धौराभांठा होते ढोलनारा की ओर जा रहे है, तत्काल टीआई तमनार हमराह स्टाफ के साथ मेन रोड हमीरपुर में घेराबंदी कर संदिग्ध एम्बुलेंस वाहन को पकड़ा गया जिसमें बैठे दो व्यक्ति अपना नाम बताने में आना कानी कर रहे थे , दोनो को कडाई से पुछताछ करने पर चालक सीट में बैठा व्यक्ति अपना नाम अक्षय गुप्ता पिता जितेन्द्र गुप्ता उम्र 25 वर्ष सा. जरीडीह थाना तमनार जिला और ड्रायवर के बगल सीट में बैठा व्यक्ति अपना नाम 01. संदीप चौहान पिता महेत्तर चौहान उम्र 24 वर्ष सा. उरबा दरीपारा थाना तमनार जिला रायगढ़ का होना बताये, तलाशी में संदीप चौहान के पास से 529 नग नशीली टेबलेट (कैप्सुल) तथा अक्षय गुप्ता चालक के पास से 10 पत्ता प्रत्येक पत्ता में 10 - 10 टेबलेट कुल 100 नग टेबलेट कुल जुमला 629 नग टेबलेट (कैप्सुल), कीमती 5,269 रूपये का जप्त किया गया है। आरोपियों के पास प्रतिबंधित नशीली टेबलेट के परिवहन के संबंध में कोई बिल, डॉक्टर पर्ची नहीं थी, तमनार पुलिस द्वारा एम्बुलेंस वाहन क्रमांक MH 49 C 0032 एवं प्रतिबंधित नशीली दवाओं को जप्त कर आरोपी अक्षय गुप्ता एवं संदीप चौहान के खिलाफ थाना तमनार में धारा 21(C) NDPS ACT के तहत कार्रवाई कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है।

बिना अनुमति बज रहे डीजे सिस्टम को लैलूंगा पुलिस ने वाहन समेत किया जब्त

रायगढ़। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण को लेकर दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराए जाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज एवं थाने का स्टाफ लगातार क्षेत्र में सतत पेट्रोलिंग कर दुर्गा उत्सव समिति एवं स्थानीय त्योहारों, कार्यक्रमों में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर रहवासियों को ध्वनि निर्धारित सीमा में रखने निर्देशित किया जा रहा है। साथ ही रहवासियों को जिले में प्रभावशील आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 23/10/2023 के शाम गांव में घूम-घूम कर डीजे वहां पर नाटक कार्यक्रम करने वाला गिरीवेंद्र सिंह निवासी दीवानपुर, पिकअप वाहन सीजी 14 एम.के. 1560 में लोड डीजे सिस्टम के साथ अटल चौक पर थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज को मिला। थाना प्रभारी द्वारा वाहन चालक को ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के संबंध में दस्तावेजों की मांग किया गया, वाहन चालक के पास कोई दस्तावेज नहीं थे।

थाना प्रभारी द्वारा डीजे सिस्टम को मय पिकअप वाहन क्रमांक सीजी 14 एम0के0 1560 को जप्त कर थाने लाया गया। वाहन चालक अनावेदक गिरीवेंद्र सिंह पिता लाल कुमार सिंह उम्र 31 साल निवासी दीवानपुर थाना पत्थलगांव जिला जशपुर पर कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10, 11, 15 के तहत थाना लैलूंगा में कार्यवाही किया गया है।

खरसिया पुलिस ने बिना अनुमति बज रहे डीजे साउंड सिस्टम किया जब्त, कोलाहल अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही

❐ दशहरा मैदान के पीछे खुड़खुड़िया जुआ खेलाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। 24 अक्टूबर को रायगढ़ जिले में सभी प्रमुख दशहरा मैदान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल पर कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी। ग्राम बसनाझर के दशहरा मैदान पर मेला में कानून व्यवस्था ड्यूटी के लिए खरसिया थाना व चौकी खरसिया का बल मौजूद था। रावण दहन पश्चात दशहरा मैदान पर नाटक मंडली (गम्मत पार्टी) द्वारा डीजे साउंड सिस्टम के साथ कार्यक्रम किया जा रहा था। थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक राकेश मिश्रा द्वारा डीजे मालिक रवि राठिया को नोटिस देकर डीजे संचालन की अनुमित पेश करने कहा गया, डीजे संचालक ने अनुमति नहीं होना बताया। खरसिया पुलिस द्वारा मौके से डीजे साउंड सिस्टम तथा 4 नग साउंड बॉक्स को जप्त कर थाना लाया गया और डीजे संचालक रवि राठिया पिता बूंद राम उम्र 30 वर्ष निवासी सालियाभाटा थाना भूपदेवपुर के विरूद्ध थाना खरसिया में कोलाहल अधिनियम की धारा 15 के तहत कार्यवाही किया गया है।

दशहरा मेला ड्यूटी पर थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक राकेश कुमार मिश्रा, चौकी प्रभारी खरसिया निरीक्षक सौरभ कुमार द्विवेदी के हमराह सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मीनारायण राठौर, आशिक रात्रे, पृथ्वीराज मोहंती, प्रधान आरक्षक शिव कुमार वर्मा, शंकर सिंह छत्री, महिला प्रधान आरक्षक सरोजिनी राठौर, आरक्षक विशोप सिंह, प्रदीप तिवारी, कीर्ति सिदार, योगेंद्र सिदार व अन्य स्टाफ तैनात थे जिनके द्वारा देर रात्रि मुखबीर सूचना पर ग्राम बसनाझर दशहरा मैदान के पीछे खुडखुडिया गोटी से जुआ खेला रहे 3 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया है। आरोपी- (01) घनश्याम साहू पिता तेजराम साहू उम्र 28 वर्ष (2) रूप नारायण पटैल पिता गंगा राम पटैल उम्र 36 वर्ष (3) नंद कुमार साहू पिता ईश्वरी लाल साहू उम्र 29 वर्ष तीनों निवासी ग्राम बसनाझर थाना खरसिया के पास से जुआ रकम 1230 रूपये तथा खुडखुडिया जुआ सामाग्री बरामद किया गया। आरोपियों के कृत्य पर थाना खरसिया में धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है।

शस्त्र पूजन : पुलिस लाइन और थानों में की गई शस्त्रों की पूजा

रायगढ़। वर्षों से विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजन की परंपरा चली आ रही है। परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष जिले के सभी थाना, चौकी एवं पुलिस लाइन शस्त्रागार में रखे शस्त्रों एवं वाहनों की साफ-सफाई कर विधि विधान से पूजा किया जाता है। इसी क्रम में दिनांक 24/10/2023 को विजयादशमी के अवसर पर पुलिस लाइन उर्दना में आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम में एसएसपी सदानंद कुमार शस्त्रागार के शस्त्रों की विधि विधान, मंत्रोच्चार के साथ पूजन महाकाली की आराधना के साथ हवन शांति किया गया। पूजन दौरान पौराणिक परंपरा का निर्वहन करते हुए एसएसपी सदानंद कुमार और एएसपी संजय महादेवा द्वारा तलवार से कद्दू के बकरे की बलि दी गई जिसके बाद खुले प्रांगण में हर्ष फायर किया गया। एसपी सदानंद कुमार द्वारा पुलिस अधिकारी, कर्मचारियों के साथ जिलेवासियों को विजयादशमी की बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना किये। एसएसपी व एडिशनल एसपी के साथ पुलिस लाइन शस्त्र पूजन कार्यक्रम में डीएसपी निकिता तिवारी, सीएसपी अभिनव उपाध्याय, एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल , रक्षित निरीक्षक अमित सिंह, नगर निरीक्षक विजय चेलक, प्रशांत राव अहेर, रामकिंकर यादव सहित पुलिस लाइन के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। इसी प्रकार जिले के सभी थाना, चौकियों में रखे शस्त्रागार/कोत में रखे हथियारों की साफ-सफाई पूजा किया गया है।

थाना घरघोड़ा में एसडीओपी ने टीआई व थाना स्टाफ के साथ मिलकर की शस्त्रों की पूजा

रायगढ़। दिनांक 24/10/2023 को विजयादशमी के अवसर पर पुलिस थाना घरघोडा में SDOP धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा, थाना प्रभारी शरद चन्द्रा ने थाना स्टाफ के साथ मिलकर पूरे विधि विधान के साथ थाने के आर्म्स एम्युनेशन की पूजा की गई। शस्त्र पूजन कार्यक्रम में उप निरी. करमू साय पैंकरा, सउनि राजेश मिश्रा, प्रआर. राजेश उरांव सहित पुलिस थाना के सभी अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। शस्त्र पूजा कार्यक्रम पश्चात एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा द्वारा क्षेत्र के दशहरा एवं दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों की बैठक लेकर उन्हें प्रभावशील आचार संहिता के संबंध में जानकारी देकर कार्यक्रम मंचों का उपयोग चुनावी सभा के रूप में होने नहीं होने के निर्देश दिए और उन्हे धार्मिक मंचों की गरिमा बनाए रखने कहा गया। उन्होंने बताया कि संपूर्ण जिले में फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा बिना अनुमति चुनावी प्रचार प्रसार पर निगाह रखी जा रही है। बैठक में दुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों को दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के संबंध में डीजे साउंड सिस्टम के उपयोग, आचार संहिता संबंधी सभी आवश्यक निर्देश दिए गए और उनका पालन किए जाने कहा गया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480